भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 539

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को सिंचाई सुविधाएं

539. श्रीमती भारती पारधीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई सुविधाओं में सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए नहर प्रणाली में सुधार एवं उन्नयन का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है अतः सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन, प्रचालन और प्रबंधन करना तथा राज्य में सिंचाई प्रणाली को और अधिक व्यापक बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। भारत सरकार की भूमिका चालू स्कीमों के अंतर्गत चिह्नित परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राज्यीय नदी प्रणालियों पर वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन इस मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा किया जाता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) घटक, वृहद / मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने / सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से देश में सिंचाई क्षमता के सृजन, बहाली और स्थिरीकरण के लिए समर्पित है।

महाराष्ट्र की 28 वृहद और मध्यम परियोजनाएं और मध्य प्रदेश की 21 वृहद और मध्यम परियोजनाएं (14 परियोजनाएं और 7 चरण) पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल की गई हैं। दोनों राज्यों में से प्रत्येक में अब तक 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के

माध्यम से महाराष्ट्र में 386 लाख हैक्टेयर और मध्य प्रदेश में 183 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

इसके अतिरिक्त इस विभाग की महाराष्ट्र पैकेज स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र में 177 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

इसके अतिरिक्त, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा की इसकी 152वीं बैठक में मार्च 2023 मूल्य स्तर पर 332.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट जिलों को लाभान्वित करने वाली संजय सरोवर परियोजना (ऊपरी वैनगंगा परियोजना) का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण और इस परियोजना के लिए परिकल्पित पूरी नहर प्रणाली की लाइनिंग और क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की मरम्मत का कार्य मंजूर कर लिया गया है। तदुपरांत निवेश स्वीकृति समिति द्वारा अपनी 20वीं बैठक में परियोजना को निवेश स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 30 जुलाई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शामिल करने के लिए निर्धारित की गई मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए इस परियोजना की सिफारिश की गई है।

*****